



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: [kvs.estt.1@gmail.com](mailto:kvs.estt.1@gmail.com)

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1)/4328-14334

दिनांक: 19.07.2019

ज्ञापन


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री ओमबीर सिंह, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, कोलीवाड़ा को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवेल-12 (रु० 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवेल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुक़ाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
19/07/19  
(वरुण मिश्रा)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री ओमबीर सिंह  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय  
कोलीवाड़ा

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, कोलीवाड़ा - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुंबई/ गुरुग्राम संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री ओमबीर सिंह के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (सु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: kvs.estt.l@gmail.com

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1) / 14321-14327  
ज्ञापन

दिनांक: 19.07.2019


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री पुन्ना राव टी., प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, पिकेट सिकंदराबाद को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवेल-12 (रुं 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवेल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(वरुण मिश्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री पुन्ना राव टी.  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय  
पिकेट सिकंदराबाद

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, पिकेट सिकंदराबाद - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, हैदराबाद/ भुवनेश्वर संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री पुन्ना राव टी. के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016

दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179

E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1) // 4314-14320

दिनांक: 19.07.2019

ज्ञापन


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री वी. शिवाजी, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, अशोक नगर को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
19/07/19  
(वरुण मिश्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री वी. शिवाजी  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय  
अशोक नगर

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, अशोक नगर - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, चेन्नई/ वाराणसी संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री वी. शिवाजी के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (सु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: [kvs.estt.l@gmail.com](mailto:kvs.estt.l@gmail.com)

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1) / 4308-14313

दिनांक: 19.07.2019

ज्ञापन


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्रीमती मीना कुलश्रेष्ठ, प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, नाहरा को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवेल-12 (रु० 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवेल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगी। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(वरुण मिश्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्रीमती मीना कुलश्रेष्ठ  
प्राचार्या  
केन्द्रीय विद्यालय  
नाहरा

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, नाहरा - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्रीमती मीना कुलश्रेष्ठ के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (सु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: [kvs.estt.1@gmail.com](mailto:kvs.estt.1@gmail.com)

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1) / 14302-14307  
ज्ञापन

दिनांक: 19.07.2019


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री सोम दत्त, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक 2 आर.सी.एफ., हुसैनपुर को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुक्काबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
19/07/19  
(वरुण मिश्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री सोम दत्त  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक 2  
आर.सी.एफ., हुसैनपुर

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक 2, आर.सी.एफ., हुसैनपुर - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़ संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री सोम दत्त के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1) // 14296-14302  
ज्ञापन

दिनांक: 19.07.2019


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री श्री कुमार एम. एन., प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, कोल्लम को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
19/07/2019  
(वरुण मिश्रा)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री श्री कुमार एम. एन.  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय  
कोल्लम

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, कोल्लम - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एर्णाकुलम/ कोलकाता संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री श्री कुमार एम. एन. के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (स.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1) // 289-14295  
ज्ञापन

दिनांक: 19.07.2019


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री गोना रामा राव, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, तिरुमालागिरि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवेल-12 (रु० 78,800- 2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, सिल्वर में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवेल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(वरुण मित्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री गोना रामा राव  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय  
तिरुमालागिरि

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, तिरुमालागिरि - सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, हैदराबाद/ सिल्वर संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री गोना रामा राव के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016  
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179  
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

F.No. 11044/3(14)/AC(PR)/2019-KVS(E-1)/14232-14283

दिनांक: 19.07.2019

ज्ञापन


विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ष 2019) की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री अरुण कुमार गौतम, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, बी.एस.एफ., छावला कैंप, नई दिल्ली को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-12 (रु० 78,800-2,09,200) में सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 08.08.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या -1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
19/07/19  
(वरुण मित्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री अरुण कुमार गौतम  
प्राचार्य  
केन्द्रीय विद्यालय, बी.एस.एफ., छावला कैंप  
नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष, वि.प्र.स., केन्द्रीय विद्यालय, बी.एस.एफ., छावला कैंप - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली/ वाराणसी संभाग- इस अनुरोध के साथ कि श्री अरुण कुमार गौतम के कार्यमुक्ति/पदभार ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति/कार्यभार की तिथि आवश्यक कार्यवाई हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा सूचित करें।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।